

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1031
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

घरों के लिए बिजली कनेक्शन

1031. श्री ए.ए. रहीम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके पास नियमित बिजली कनेक्शन नहीं है;

(ख) किसी परिवार को "विद्युतीकृत" घोषित करने के लिए न्यूनतम आधारभूत अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं सहित वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं;

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत अब भी लंबित घरेलू कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सार्वभौमिक विद्युतीकरण के दावों को प्रत्येक परिवार के लिए वास्तविक, विश्वसनीय और 24x7 बिजली की उपलब्धता में परिवर्तित करने और अंतिम-मील कनेक्टिविटी में बनी हुई कमियों को दूर करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों को ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): विद्युत के समवर्ती विषय होने के कारण, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार (जीओआई) सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद, गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का

विद्युतीकरण किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत तथा उसके पश्चात अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सभी इच्छुक परिवारों का दिनांक 31 मार्च 2019 तक विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

वर्ष 2021 में शुरू की गई मौजूदा संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, जहाँ भी व्यवहार्य हो, 6,521 करोड़ रु. की लागत से 13.65 लाख घरों के लिए ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के घर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घर तथा वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घर शामिल हैं। उपर्युक्त में से अब तक कुल 2.93 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

स्कीम के अंतर्गत, किसी घर को तब विद्युतीकृत माना जाता है जब उसे एचटी/एलटी लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर आदि के माध्यम से सिंगल फेज/थ्री फेज विद्युत कनेक्शन अथवा स्वतंत्र सौर प्रणाली के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(घ): विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसी द्वारा सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए। तथापि, आयोग कुछ उपभोक्ता श्रेणियों, जैसे कृषि, के लिए कम आपूर्ति घंटे निर्धारित कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों तथा सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के माध्यम से वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं निर्माण को सुगम बनाया है। इसमें डीडीयूजीजेवाई, समेकित विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा सौभाग्य जैसी पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत 1.85 लाख करोड़ रु.के कार्य शामिल हैं। वर्तमान में, आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना से संबंधित 2.83 लाख करोड़ रु. के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परिकल्पित है कि उप-केंद्रों का सुदृढीकरण/निर्माण, वितरण ट्रांसफार्मर का निर्माण/उन्नयन, कृषि फीडर पृथक्करण, नेटवर्क सुदृढीकरण, केबलिंग कार्य आदि जैसे अवसंरचना कार्यों के साथ-साथ विभिन्न सुधारात्मक उपायों के माध्यम से वितरण यूरिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होने से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार होगा।

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परिव्यय (रु. करोड़)	स्वीकृत जीबीएस (रु. करोड़)	स्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
क.	अतिरिक्त घर				
1	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475	15,319
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
3	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
4	बिहार	238.86	143.32	35,467	0
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	34,078	188
6	जम्मू और कश्मीर	106.70	96.03	15,359	0
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853	371
8	केरल	0.33	0.20	40	11
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196	21
10	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
11	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
12	मिजोरम	79.90	71.91	15,167	0
13	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	3,38,702	79,526
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	1,317
	कुल (क)	4,678.19	3,328.60	9,41,918	96,753
ख.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.41	2,837	0
ग	पीएम-जनमन				
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ़	38.16	22.90	7,077	7,160
3	झारखंड	74.13	44.48	12,442	11,216
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1,615	1,546
5	केरल	0.86	0.52	345	314
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	30,216	27,032
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	8,556	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8,603	6,973
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884

11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
	उप योग (ग1)	521.59	331.57	1,27,987	1,20,845
ग2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	5,166
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	कुल योग (ग2)	0	0	0	15,164
ग3	आरडीएसएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान				
1	मध्य प्रदेश	0	0	25	20
	उप योग (ग3)	0	0	25	20
	कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	521.74	331.66	1,28,012	1,36,029
घ.	डीए-जेजीयूए				
घ1	आरडीएसएस के अंतर्गत				
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921	4,417
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938	1,529
3	बिहार	61.40	36.84	7,117	655
4	छत्तीसगढ़	218.44	131.06	39,579	12,648
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93	10
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	13,824	0
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467	0
8	कर्नाटक	41.00	24.60	5,288	1,101
9	केरल	5.73	3.44	1,080	239
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.40	59,172	12,614
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961	5,228
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842	97
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525	15,592
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677	5,219
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867	65
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207	147
	उप योग (घ1)	1,247.50	790.52	2,83,558	59,561
घ2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	ओडिशा	0	0	0	0
	उप योग (घ2)	0	0	0	0
घ3	आरडीएसएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान				
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182	129
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7	3

4	झारखंड	8.25	4.95	1,910	0
5	केरल	0.15	0.09	17	0
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650	100
7	राजस्थान	0.70	0.42	195	0
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672	0
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512	0
10	उत्तर प्रदेश।	0.13	0.08	30	7
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19	3
	उप योग (घ3)	18.63	11.92	4,203	251
घ4	राज्य योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान				
1	ओडिशा	0	0	0	0
	उप योग (घ4)	0	0	0	0
	कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	1,266.13	802.44	2,87,761	59,812
ड.	पीएम-अजय				
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811	411
2	झारखंड	6.141	3.684	1,782	0
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6	3
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012	21
	कुल (ड)	16.45	9.87	4,611	435
	महा योग (क+ख+ग+घ+ड)	6,521.85	4,507.98	13,65,139	2,93,029

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1101
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय सेहत

1101. # श्रीमती सीमा द्विवेदी:

श्री नारायण कोरागप्पा:

श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) परिणाम-आधारित सुधार-संबंधी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत किए जा रहे सुधार किस प्रकार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान प्रीपेड या स्मार्ट मीटरों को लगाने में तीव्रता आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार अपने लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर वितरण यूटिलिटी स्तर पर वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों की निगरानी करती है। दिनांक 31.03.2025 तक, डिस्कॉम-वार प्रमुख वित्तीय मापदंड अनुबंध पर हैं।

(ख) : वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित 2.83 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है।

एटीएंडसी हानियां वितरण यूटिलिटी के निष्पादन का प्रमुख प्रचालनात्मक संकेतक है। इन हानियों को दूर करने के लिए स्कीम के तहत अनिवार्य पूर्व-अर्हता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों और त्रैमासिक लेखों का समय पर प्रकाशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाया का समय पर जारी करना, विनियामक परिसंपत्तियों का कोई नया निर्माण नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटरिंग, जेनको के बकाया का समय पर भुगतान और टैरिफ और डू अप आदेशों का समय पर प्रकाशन शामिल है। परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के तहत उल्लिखित मापदंडों के आधार पर यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर, जिसमें प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों के निमित्त उपलब्धि शामिल है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, सहायता को निष्पादन से जोड़ा गया है।

सुधार उपायों और विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियाँ वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर को अपनाने में तेजी लाने के लिए उपभोक्ता सहभागिता में सुधार करने और विश्वास बढ़ाने के लिए विभिन्न परामर्शिकाएं/मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। इनमें शामिल हैं:

- उपभोक्ताओं को बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर की संस्थापना के लिए प्रोत्साहन;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई शास्ति नहीं;
- पिछले बकाया की आसान किस्तों में वसूली हेतु तंत्र;
- स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटरों की स्थापना;
- विद्युत खपत की नियमित निगरानी एवं आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप्स की उपलब्धता;
- बची धनराशि के लिए अग्रिम अलर्ट तथा उपभोक्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट की सुविधा।

विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप, विभिन्न स्कीमों के तहत, देश भर में अब तक कुल 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए जा चुके हैं, जबकि वित्त वर्ष 24 के अंत में देश भर में स्मार्टमीटरों की कुल स्थापना 1.05 करोड़ थी और वित्त वर्ष 25 के अंत में 2.58 करोड़ थी।

दिनांक 31.03.2025 तक डिस्कॉम-वार वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंड

राज्य/ डिस्कॉम	एटीएंडसी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	संचित अधिशेष/ (हानि) (करोड़ रुपये)	कुल उधार (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	15.40	0.11	(6,77,561)	7,11,402
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.14	2.22	-	-
अंडमान और निकोबार पीडी	24.14	2.22	-	-
आंध्र प्रदेश	7.87	(0.15)	(29,420)	77,583
एपीसीपीडीसीएल	7.95	(0.62)	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	7.70	(0.02)	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	7.99	(0.01)	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	46.20	0.00	-	-
अरुणाचल प्रदेश पीडी	46.20	0.00	-	-
असम	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
एपीडीसीएल	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
बिहार	15.51	(0.41)	(16,526)	14,002
एनबीपीडीसीएल	14.49	(0.57)	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	16.35	(0.28)	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
सीएसपीटीसीएल	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
दिल्ली	8.36	(0.86)	-	-
एनडीएमसी	8.36	(0.86)	-	-
गोवा	10.39	0.20	-	-
गोवा पीडी	10.39	0.20	-	-
गुजरात	8.25	(0.40)	7,355	258
डीजीवीसीएल	4.26	(0.46)	2,507	26
एमजीवीसीएल	8.37	(0.24)	877	9
पीजीवीसीएल	12.73	(0.44)	2,276	208
यूजीवीसीएल	6.16	(0.33)	1,695	15
हरियाणा	11.76	0.10	(27,915)	20,311
डीएचबीवीएनएल	12.20	0.03	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएनएल	11.12	0.20	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	19.44	0.23	(3,391)	7,024
एचपीएसईबीएल	19.44	0.23	(3,391)	7,024
झारखंड	28.19	0.95	(20,512)	22,381

जेबीवीएनएल	28.19	0.95	(20,512)	22,381
कर्नाटक	11.92	0.69	(34,980)	47,993
बेस्कॉम	12.50	1.21	(13,819)	22,611
चेस्कॉम	8.76	0.36	(4,064)	5,410
गेस्कॉम	13.48	0.10	(5,661)	6,147
हेस्कॉम	12.14	0.23	(11,398)	12,251
मेस्कॉम	10.02	(0.00)	(37)	1,575
केरल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
केएसईबीएल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
टीसीईडी	6.94	(0.13)	-	-
लद्दाख	26.82	(0.89)	-	-
लद्दाख पीडी	26.82	(0.89)	-	-
मध्य प्रदेश	22.76	(0.04)	(71,394)	49,239
एमपीमाकेवीवीसीएल	29.60	0.22	(30,900)	18,176
एमपीपाकेवीवीसीएल	12.78	(0.36)	(12,503)	14,184
एमपीपोकेवीवीसीएल	26.66	0.02	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	17.69	0.56	(35,671)	90,659
बीईएसटी	5.07	0.60	-	-
एमएसईडीसीएल	18.09	(0.70)	(35,671)	90,659
मणिपुर	12.90	(0.20)	(290)	745
एमएसपीटीसीएल	12.90	(0.20)	(290)	745
मेघालय	17.52	0.13	(4,962)	1,474
एमईपीडीसीएल	17.52	0.13	(4,962)	1,474
मिजोरम	32.31	(0.34)	-	-
मिजोरम पीडी	32.31	(0.34)	-	-
नागालैंड	48.86	(0.50)	-	-
नागालैंड पीडी	48.86	(0.50)	-	-
पुडुचेरी	14.72	(0.64)	-	-
पुडुचेरी पीडी	14.72	(0.64)	-	-
पंजाब	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
पीएसपीसीएल	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
राजस्थान	15.18	(0.04)	(90,303)	98,488
एवीवीएनएल	9.22	(0.45)	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	21.42	0.02	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	13.75	0.18	(30,052)	35,569
सिक्किम	21.84	0.33	-	-
सिक्किम पीडी	21.84	0.33	-	-
तमिलनाडु	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
टीएनपीडीसीएल	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	19.84	0.27	(69,741)	59,230

टीएसएनपीडीसीएल	23.22	0.53	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	18.51	0.17	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	29.61	1.40	(991)	842
टीएसईसीएल	29.61	1.40	(991)	842
उत्तर प्रदेश	19.54	0.73	(1,00,858)	61,395
डीवीवीएनएल	19.70	1.03	(33,974)	16,412
केस्को	14.29	1.09	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	17.70	1.11	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	11.91	(0.29)	(8,782)	6,562
पुवीवीएनएल	30.70	1.30	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	15.08	0.06	(5,482)	1,729
यूपीसीएल	15.08	0.06	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	17.17	(0.03)	174	14,658
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.17	(0.03)	174	14,658
निजी क्षेत्र	10.05	(0.64)	30,351	14,975
दिल्ली	6.48	(1.13)	22,184	2,914
बीआरपीएल	6.70	(0.89)	12,892	894
बीवाईपीएल	7.15	(0.95)	5,650	701
टीपीडीडीएल	5.70	(1.58)	3,642	1,319
गुजरात	3.63	(0.42)	3,892	3,562
टोरेट पावर अहमदाबाद	3.80	(0.30)	3,206	3,354
टोरेट पावर सूरत	3.24	(0.67)	686	208
महाराष्ट्र	4.99	(2.04)	1,245	3,818
एईएमएल	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ओडिशा	17.81	0.18	1,263	4,531
टीपीएनओडीएल	12.51	(0.06)	480	1,006
टीपीएसओडीएल	23.36	0.82	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	17.64	0.36	301	1,093
टीपीसीओडीएल	19.11	(0.09)	262	933
उत्तर प्रदेश	8.48	(0.15)	1,561	0
एनपीसीएल	8.48	(0.15)	1,561	0
पश्चिम बंगाल	4.68	0.19	205	151
आईपीसीएल	4.68	0.19	205	151
कुल योग	15.04	0.06	(6,47,210)	7,26,378

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1102

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रगति

1102. श्री रायगा कृष्णैया:
श्री लहर सिंह सिराया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ख) आरडीएसएस के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्राप्त उपलब्धियां तथा इस योजना को अपनाने वाले राज्यों की संख्या क्या है;

(ग) आरडीएसएस के अंतर्गत कुल आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत वितरण हानियों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रू. है तथा केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रू. है। स्कीम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की वितरण यूटिलिटी को छोड़कर वितरण यूटिलिटी को हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रू. तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.31 लाख करोड़ रू. के परियोजना कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

स्वीकृत हानि न्यूनीकरण कार्यों में पुराने/क्षतिग्रस्त कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) / उप-केंद्रों का उन्नयन/विस्तार, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ भी व्यवहार्य हो, 13,65,139 घरों के लिए ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री

जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जनजाति के घर, पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जाति के घर तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों के घर शामिल हैं। कुल मिलाकर, हानि न्यूनीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति अब तक लगभग 37% रही है।

इसके अलावा, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.05 लाख फीडरों तथा 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक स्कीम के अंतर्गत 4.04 करोड़ उपभोक्ताओं, 1.63 लाख फीडरों तथा 13.57 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर, देशभर में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 5.59 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

जनवरी 2026 तक, स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत 38,803 करोड़ रु. की निधि जारी की जा चुकी है। स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रदर्शन में सुधार से संबद्ध है, जिससे भारत सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के साथ-सरकारी सब्सिडी एवं सरकारी विभागों के बकायों के समय पर भुगतान, टैरिफ आदेशों का नियमित रूप से जारी होना, लेखों का समयबद्ध प्रकाशन, नियामकीय परिसंपत्तियों का गैर-सृजन आदि में अनुशासन लाने में सहायता मिली है। केंद्र एवं राज्यों/यूटी के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, वितरण यूटिलिटी की समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं तथा एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 2021 में 0.69 रु./किलोवाट-घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 0.06 रु. /किलोवाट-घंटा हो गया है।

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की राज्य/यूटीवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (जनवरी, 2026 तक) **अनुबंध-(I से III)** पर दी गई है।

(घ) एवं (ङ) : आरडीएसएस का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्युत वितरण यूटिलिटी की दक्षता एवं वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ निम्नलिखित हैं:

- i. स्कीम के अंतर्गत 394 नगरों में स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विज़िशन)/डीएमएस (डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) कार्यों के लिए 2,389 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई है। इससे दूरस्थ निगरानी एवं नियंत्रण संभव होगा, आपूर्ति बाधाओं में कमी आएगी तथा फॉल्ट पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी, जिससे विद्युत वितरण नेटवर्क की दक्षता एवं विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- ii. एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के अंतर्गत स्मार्ट मीटर रीयल-टाइम खपत डेटा उपलब्ध कराते हैं, जिससे उपभोक्ता अपनी खपत का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और वितरण यूटिलिटी बिजली चोरी का पता लगाने एवं उसे नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। स्मार्ट मीटरों से प्राप्त डेटा के विश्लेषण के माध्यम से यूटिलिटी अधिक हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, ग्रिड संचालन का अनुकूलन, तथा बिलिंग एवं संग्रह दक्षता में सुधार कर सकती हैं।
- iii. स्कीम के अंतर्गत 8,052 करोड़ रु. की लागत से स्मार्ट वितरण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें जीआईएस उप-केंद्र, वितरण ट्रांसफार्मर का स्थिति प्रबंधन एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगत करने, तथा प्रणाली संवर्द्धन/आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत निधि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत लागत (रु. करोड़ में)		
	स्मार्ट मीटरिंग	हानि में कमी	कुल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	54	462	516
आंध्र प्रदेश	4,128	10,708	14,836
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226
असम	4,050	3,395	7,444
बिहार	2,021	10,559	12,581
छत्तीसगढ़	4,105	4,021	8,126
दिल्ली	13	324	337
गोवा	469	247	716
गुजरात	10,642	6,089	16,731
हरियाणा	0	6,794	6,794
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,116
जम्मू एवं कश्मीर	1,064	5,034	6,098
झारखंड	858	3,468	4,326
कर्नाटक	0	45	45
केरल	8,231	3,108	11,339
लद्दाख	0	876	876
मध्य प्रदेश	8,911	9,738	18,649
महाराष्ट्र	15,215	17,238	32,453
मणिपुर	121	627	748
मेघालय	310	1,232	1,542
मिजोरम	182	322	503
नागालैंड	208	466	674
पुदुचेरी	251	84	335
पंजाब	5,769	3,873	9,642
राजस्थान	9,715	18,693	28,408
सिक्किम	97	420	518
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803
तेलंगाना	0	120	120
त्रिपुरा	319	598	917
उत्तर प्रदेश	18,956	21,782	40,739
उत्तराखंड	1,106	2,371	3,477
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893
कुल	1,30,671	1,52,854	2,83,525

आरडीएसएस के तहत हानि में कमी के कार्यों की वास्तविक प्रगति

राज्य	वास्तविक प्रगति
अंडमान और निकोबार	0%
आंध्र प्रदेश	28%
अरुणाचल प्रदेश	22%
असम	53%
बिहार	49%
छत्तीसगढ़	51%
दिल्ली	0%
गोवा	82%
गुजरात	51%
हरियाणा	16%
हिमाचल प्रदेश	4%
जम्मू और कश्मीर	38%
झारखंड	48%
केरल	28%
लद्दाख	8%
मध्य प्रदेश	51%
महाराष्ट्र	38%
मणिपुर	17%
मेघालय	21%
मिजोरम	51%
नागालैंड	13%
पुदुचेरी	29%
पंजाब	18%
राजस्थान	16%
सिक्किम	18%
तमिलनाडु	12%
त्रिपुरा	52%
उत्तर प्रदेश	43%
उत्तराखंड	20%
पश्चिम बंगाल	58%
कुल	37.05%

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य (जनवरी, 2026 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)		कुल मीटर	
	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित
अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	22,88,414	2,93,140	85,577	17,358	8,438	59,19,344	23,82,429
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	52,179	10,116	311	688	263	2,98,250	52,753
असम	63,64,798	48,38,045	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	48,98,655
बिहार	23,50,000	19,93,875	2,50,726	1,84,644	6,427	5,799	26,07,153	21,84,318
छत्तीसगढ़	59,62,115	33,84,390	2,10,644	70,888	6,720	5,963	61,79,479	34,61,241
दिल्ली	-	-	766	-	2,755	-	3,521	-
गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	650	7,50,356	650
गुजरात	1,64,87,100	36,75,132	3,00,487	1,36,242	-	-	1,67,87,587	38,11,374
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	7,67,964	39,012	23,328	1,951	1,650	28,41,908	7,92,942
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	5,57,854	88,037	17,147	2,608	1,445	14,97,690	5,76,446
झारखंड	13,41,306	5,90,010	19,512	936	1,226	842	13,62,044	5,91,788
केरल	1,32,89,361	1,69,263	87,615	217	6,025	2,904	1,33,83,001	1,72,384
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	31,83,005	4,19,396	1,44,110	29,708	25,636	1,34,29,206	33,52,751
महाराष्ट्र	2,35,64,747	85,34,398	4,10,905	2,69,116	29,214	30,790	2,40,04,866	88,34,304
मणिपुर	1,54,400	33,287	11,451	664	357	236	1,66,208	34,187
मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
मिजोरम	2,89,383	27,919	2,300	393	398	295	2,92,081	28,607
नागालैंड	3,17,210	30,571	6,276	845	392	105	3,23,878	31,521
पुदुचेरी	4,03,767	11,747	3,105	7	180	-	4,07,052	11,754
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	-	89,81,414	-
राजस्थान	1,42,74,956	23,76,944	4,34,608	31,015	27,128	25,391	1,47,36,692	24,33,350
सिक्किम	1,44,680	80,767	3,229	1,469	633	471	1,48,542	82,707
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
त्रिपुरा	5,47,489	1,61,835	14,908	6,199	473	473	5,62,870	1,68,507
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	66,92,131	15,26,801	2,66,836	20,874	25,466	2,85,26,731	69,84,433
उत्तराखंड	15,87,870	4,40,201	59,212	8,084	2,602	2,496	16,49,684	4,50,781
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,51,499	3,05,419	51,150	11,874	10,811	2,10,35,262	6,13,460
आरडीएसएस कुल	19,79,30,131	4,04,41,430	52,52,692	13,56,909	2,05,475	1,62,749	20,33,88,298	4,19,61,088

नोट: जनवरी, 2026 तक, आरडीएसएस के तहत 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर और आरडीएसएस सहित विभिन्न स्कीमों के तहत 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1103

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

ओडिशा के विभिन्न जिलों में बिजली की अनुपलब्धता

1103. डा. सस्मित पात्रा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस विरोधाभास की जांच की है कि प्रमुख बिजली उत्पादक राज्यों में शामिल होने के बावजूद ओडिशा राज्य के मलकानगिरी, कंधमाल, कोरापुट और नबरंगपुर जैसे जनजातीय एवं ग्रामीण जिलों में निरंतर अविश्वसनीय तथा निम्न गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति बनी हुई है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र द्वारा वित्त पोषित पारेषण और वितरण अवसंरचना सुदृढीकरण की जिला-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बार-बार होने वाली बिजली कटौती, कम वोल्टेज, ट्रांसफार्मरों की खराबी तथा इनके कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण उद्यमों पर पड़ने वाले प्रभाव का संज्ञान लिया है; और

(घ) क्या ओडिशा के पिछड़े क्षेत्रों में केवल ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र के रूप में सीमित रहने के बजाय वहाँ समान एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध सुधारात्मक कदम लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : (i) विद्युत, एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के दायरे में है, जिसमें सभी उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को पर्याप्त विद्युत प्रदान करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उचित मात्रा की व्यवस्था करना शामिल है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

(ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए ओडिशा राज्य के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	42,631	42,584	47	0.1
2023-24	41,358	41,333	25	0.1
2024-25	42,882	42,858	24	0.1
2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)	34,064	34,059	5	0.0

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि ओडिशा राज्य में ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान लगभग 'शून्य' है।

(ख) : चूंकि ओडिशा में सभी चार डिस्कॉम निजी यूटिलिटी हैं, इसलिए वे पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान), और डीए-जेजीयूए (धरती आबाजनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी परिवारों के विद्युतीकरण तक सीमित संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) : ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अपने वितरण अवसंरचना में सुधार और वृद्धि करना संबंधित वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है।

जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, राज्य डिस्कॉम आउटेज, वोल्टेज उतार-चढ़ाव और ट्रांसफार्मर विफलताओं का समाधान करके ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने और कृषि, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण उद्यमों की सहायता करने के लिए निरंतर निगरानी और सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

प्रमुख उपायों में पुराने और खराब ट्रांसफार्मरों को बदलना, सबस्टेशनों का संवर्धन, फीडर लाइनों को सुदृढ़ करना, कृषि और ग्रामीण परिवारों के लिए चुनिंदा स्थानों पर समर्पित फीडरों का प्रावधान, आपूर्ति की त्वरित बहाली के लिए मोबाइल सेवा और रखरखाव टीमों की तैनाती, और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटों के भीतर एसओपी के अनुसार जले हुए वितरण ट्रांसफार्मर/पावर ट्रांसफार्मर (डीटीआरएस/पीटीआर) को समय पर बदलना शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1104

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ
किसानों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति

1104. # श्री बृज लाल:

श्री जग्गेश:

श्री अमर पाल मौर्य:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:

श्री नरहरी अमीन:

श्री बाबू राम निषाद:

श्रीमती किरण चौधरी:

श्री नारायण कोरागप्पा:

श्री केसरीदेवसिंह झाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में, जहाँ कृषि भार अधिक है, कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) अब तक निम्नित एवं पृथक किए गए कुल फीडरों की संख्या तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) फीडर पृथक्करण पर कुल कितनी लागत आई है;

(घ) क्या फीडर पृथक्करण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कोई ठोस लाभ प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ, तो आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, भार प्रबंधन की दक्षता सहित प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में चल रहे फीडर पृथक्करण कार्यों से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : भारत सरकार 30% से अधिक कृषि लोड वाले मिश्रित लोड फीडरों के कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों में पृथक्करण पर विशेष बल दे रही है, ताकि लोड प्रबंधन को अधिक कुशल बनाया जा सके तथा कृषि फीडरों के सौरकरण को सक्षम किया जा सके। इससे कृषि उपभोग के लिए विद्युत आपूर्ति की

संतुलित रोस्ट्रिंग सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है तथा किसानों को दिन के समय में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, पूरे किए गए फीडर पृथक्करण कार्यों से लो वोल्टेज की समस्याओं में कमी आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है।

30% से अधिक कृषि लोड वाले कुल 82,777 फीडर पृथक्करण के लिए व्यवहार्य पाए गए, जिनमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत 51,668 फीडरों का पृथक्करण किया जा चुका है। इसमें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 10,394 करोड़ रु. की परियोजना लागत से पृथक किए गए 7,833 फीडर भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में संचालित संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत 31,109 व्यवहार्य फीडरों के लिए 39,795 करोड़ रु. की लागत से फीडर पृथक्करण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से अब तक 8,667 फीडरों के पृथक्करण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष फीडरों का कार्य योजना अवधि के भीतर, अर्थात् दिनांक 31.03.2028 तक पूरा किया जाना है।

फीडर पृथक्करण कार्यों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर संलग्न है।

क्र.सं.	राज्य	पृथक्करण के लिए कुल व्यवहार्य फीडर (संख्या)	डीडीयूजीजेवाई/ राज्य योजना के अंतर्गत पृथक किए गए फीडर (संख्या)	आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत (संख्या)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	पूर्ण कुल (आरडीएसएस + गैर आरडीएसएस) (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	5,865	285	5,580	7,875	2,728
2	बिहार	2,909	1,354	1,555	2,438	2,671
3	छत्तीसगढ़	1,810	743	1,067	1,389	1,186
4	गुजरात	10,683	10,683	0	0	10,683
5	हरियाणा	4,638	4,638	0	0	4,638
6	हिमाचल प्रदेश	58	0	58	19	0
7	जम्मू एवं कश्मीर	75	0	75	112	15
8	झारखंड	266	194	72	135	201
9	कर्नाटक	7,611	7,611	0	0	7611
10	मध्य प्रदेश	9,173	7,809	1,364	2,180	8167
11	महाराष्ट्र	10,811	6,099	4,712	7,010	8,567
12	ओडिशा	89	89	0	0	89
13	पुदुचेरी	6	0	6	9	0
14	पंजाब	6,932	6,705	227	383	6705
15	राजस्थान	14,857	2,022	12,835	10,203	2352
16	तमिलनाडु	1,715	29	1,686	6,228	78
17	उत्तर प्रदेश	4,677	2,878	1,799	1,666	4,083
18	उत्तराखंड	54	44	10	56	44
19	पश्चिम बंगाल	548	485	63	91	517
	कुल	82,777	51,668	31,109	39,795	60,335

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1105
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता

1105. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले से निर्माणाधीन कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता जोड़ने की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आकलन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2032 तक कोयला संयंत्रों का अनुमानित प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई कोयला-आधारित विद्युत तथा बैटरी भंडारण से युक्त नवीकरणीय ऊर्जा के बीच तुलनात्मक लागत का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो कोयला आधारित विद्युत और स्थिर एवं प्रेषणीय नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के लिए वर्तमान टैरिफ सीमाएं क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : अनुमानित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादन संसाधनों (कोयला, जलविद्युत, सौर, पवन, भंडारण, परमाणु आदि) के इष्टतम मिश्रण को निर्धारित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उत्पादन विस्तार आयोजना अध्ययन किया जाता है। उत्पादन विस्तार आयोजना अध्ययन में विभिन्न उत्पादन प्रौद्योगिकियों की पूंजी लागत, ईंधन लागत, ओएंडएम लागत, उपयोगी कार्यावधि आदि जैसे कई मापदंडों पर विचार किया जाता है।

अध्ययनों के अनुसार, वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट के निमित्त लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

उपर्युक्त आवश्यकता के निमित्त, अप्रैल, 2023 से दिनांक 20.01.2026 तक लगभग 17,360 मेगावाट की तापीय क्षमता पहले ही कमीशन की जा चुकी है। इसके अलावा, वर्तमान में 39,545 मेगावाट की तापीय क्षमता (4,845 मेगावाट की संकटग्रस्त तापीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंधों को अवार्ड कर दिया गया है और उनका निर्माण होना बाकी है। इसके अलावा, 24,020 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित कैंडिडेट क्षमता को चिह्नित किया गया है जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

वर्ष 2031-32 तक कोयला आधारित संयंत्रों का अनुमानित संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) लगभग 61% होने का अनुमान है। तथापि, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ कई कारकों पर निर्भर करेगा जैसे विद्युत की मांग में वृद्धि, वास्तविक कोयला आधारित और आरई क्षमता का पूरा होना आदि।

(ग) और (घ) : उत्पादन विस्तार आयोजना मॉडल, इष्टतम क्षमता मिश्रण पर पहुंचने के लिए, विभिन्न प्रौद्योगिकियों की लागत, अनुमानित विद्युत की मांग, आरई उत्पादन प्रोफाइल, ईंधन लागत, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों की प्रचालनात्मक विशेषताओं, भंडारण अवधि आदि पर विचार करते हुए नए कोयला आधारित संयंत्रों, सौर, पवन, भंडारण आदि के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करता है।

कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पन्न विद्युत की लागत संयंत्र की कार्यावधि, कोयला खदानों से संयंत्र की दूरी, प्रौद्योगिकी के प्रकार (सब-क्रिटिकल, सुपर-क्रिटिकल) आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

पिछले तीन वर्षों के लिए मौजूदा कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पन्न विद्युत की अखिल भारतीय भारत औसत क्रय दर (डब्ल्यूएआरएसपी) 4.36 रु./केएचडब्ल्यू से 4.58 रु./केएचडब्ल्यू तक है, जिसमें सबसे कम टैरिफ लगभग 1.52 रु./केएचडब्ल्यू है।

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से चयनित नए कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित टैरिफ 5.38-6.30 रु./केएचडब्ल्यू की सीमा में है। यह वर्ष 2025 में की गई बोली पर आधारित है।

अगस्त, 2024 में एसईसीआई द्वारा अवार्ड की गई फर्म और डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) निविदाओं के तहत निर्धारित टैरिफ 4.98-4.99 रु./केएचडब्ल्यू की सीमा में है।

यद्यपि टैरिफ रेंज व्यापक रूप से समान प्रतीत होती है, फिर भी कोयला आधारित ताप विद्युत और एफडीआरई परियोजनाओं की प्रकृति, प्रचालन विशेषताओं, जोखिम आवंटन, ईंधन लागत संरचना, प्रेषण प्रोफाइल और संविदात्मक फ्रेमवर्क में अंतर्निहित अंतर के कारण सीधे तौर पर तुलना उचित नहीं है। विद्युत की दोनों श्रेणियां अलग-अलग प्रणाली आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और इसमें अलग-अलग लागत घटक और निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1106
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने की लागत

1106. श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की औसत प्रणाली-स्तरीय लागत (₹/केडब्ल्यूएच), पारेषण, ग्रिड संतुलन तथा ऊर्जा भंडारण से संबंधित लागतों सहित, कितनी है;

(ख) वर्ष 2020 से इन लागतों का वर्ष-वार रुझान क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संपन्न राज्यों में एकीकरण से संबंधित लागतों में कितना अंतर है;

(घ) क्या इन लागतों के लिए कोई मानक निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण लागतों को कम करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील और अनिश्चित है, जिसका उत्पादन दैनिक और मौसमी आधार पर होता है, इसलिए, उपभोक्ताओं को निरंतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य स्रोतों से सहायता की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण लागत में कई घटक शामिल होते हैं जैसे पारेषण प्रभार (अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय), संतुलित और सहायक सेवाएं, ग्रिड प्रचालन, पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और अनुकूलन संसाधन, जो उत्पादन, पारेषण और प्रणाली प्रचालन की समग्र लागत के भीतर शामिल हैं।

ये लागतें अत्यधिक प्रणाली-विशिष्ट हैं और कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें आरई निवेश का स्तर, नवीकरणीय संसाधनों का भौगोलिक वितरण (प्रतिक्रियाशील विद्युत सहायता, शॉर्ट सर्किट, इनर्शिया और संतुलन भंडार की आवश्यकता), मांग पैटर्न, अनुकूल उत्पादन की उपलब्धता, मौजूदा पारेषण अवसंरचना और क्षेत्रीय ग्रिड स्थितियां शामिल हैं। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020 से वर्ष-वार प्रवृत्ति

और नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों में भिन्नता को राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग या समान तरीके से बनाए नहीं रखा रखा जाता है।

(ड) : केंद्र सरकार ने समय के साथ आरई एकीकरण लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- i. केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) स्कीम के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रही है। ये परियोजनाएं ज्यादातर राज्य के भीतर मांग को पूरा करने के लिए आरई के एकीकरण के लिए अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- ii. संकुलन से बचने, कटौती को कम करने और अवांछित नेटवर्क वृद्धि की आवश्यकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में उन्नत और समन्वित पारेषण आयोजना बनाई गई है।
- iii. साझा अवसंरचना के माध्यम से बड़ी नवीकरणीय क्षमताओं की इष्टतम निकासी को सक्षम करते हुए आरई क्षेत्रों और पूलिंग स्टेशनों का विकास;
- iv. टैरिफ-आधारित बोली और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की प्रतिस्पर्धी खरीद, जिससे लागत के निर्धारण और क्रमिक बोलियों पर टैरिफ में गिरावट आती है;
- v. संतुलन लागत को कम करने के लिए पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग, रियल टाइम प्रेषण और सहायक सेवाओं में सुधार सहित ग्रिड प्रचालन का सुदृढीकरण; और
- vi. बाजार सुधार, जैसे कि रियल टाइम विद्युत बाजार और अनुकूल तंत्र, मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रणाली एकीकरण की लागत को कम करने में मदद करते हैं।
- vii. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) सामान्य नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) विनियम, 2022 के तीसरे संशोधन के अनुसार, आरई पूलिंग स्टेशनों पर उपलब्ध मार्जिन का आकलन करके और तदनुसार कनेक्टिविटी प्रदान करके सौर और गैर-सौर घंटों के लिए अलग से कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है, जिससे मौजूदा पारेषण परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है और समग्र प्रणाली लागत कम होती है।
- viii. समग्र आरई क्वांटम को अनुकूलित करने के लिए हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी क्वांटम का आकलन किया जाता है, जिससे ग्रिड उपयोग को कुशल बनाने में मदद मिलती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1107
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय विद्युत नीति का प्रारूप

1107. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी), 2026 का प्रारूप जारी किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त नीति के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) नई एनईपी द्वारा पुरानी/मौजूदा नीति को प्रतिस्थापित किए जाने की संभावित समय-सीमा क्या है तथा नई एनईपी के अंतर्गत कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों, उद्योग निकायों, विद्युत उपक्रमों तथा उपभोक्ता समूहों सहित संबंधित हितधारकों से प्रतिक्रिया एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्तावित नीति के विद्युत दरों, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) तथा निजी निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी), 2026 का एक मसौदा तैयार किया गया है तथा इसे दिनांक 20.01.2026 को हितधारकों की परामर्श प्रक्रिया हेतु प्रसारित किया गया है। यह मसौदा नीति उभरती चुनौतियों का व्यापक रूप से समाधान करती है तथा विद्युत क्षेत्र के सभी प्रमुख घटकों जिनमें उत्पादन (नवीकरणीय, तापीय, जल एवं परमाणु), ऊर्जा भंडारण, पारेषण एवं वितरण, विद्युत बाजार, ग्रिड प्रचालन, साइबर सुरक्षा, डेटा साझाकरण, प्रौद्योगिकी परिनियोजन, कौशल विकास, ऊर्जा दक्षता तथा वित्तपोषण शामिल हैं, के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ निर्धारित करती है।

(ख) : मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 विद्युत क्षेत्र में वित्तीय पुनरुद्धार एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने, अधिकतम मांग तथा समग्र ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा *विकसित भारत @ 2047* के दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु स्पष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करती है। यह मसौदा नीति भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के अनुरूप गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने, विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा ऊर्जा दक्षता पर विशेष बल देते हुए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत को

वर्ष 2030 तक लगभग 2,000 यूनिट (किलोवाट-घंटा) और वर्ष 2047 तक 4,000 यूनिट से अधिक के समर्थन का लक्ष्य रखती है। इसके अतिरिक्त, यह नीति बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सक्षम बनाने, लचीले प्रणाली संचालन को सुदृढ़ करने तथा जलवायु अनुकूलन और साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के प्रति तैयारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रिड की मजबूती बढ़ाने पर बल देती है। नीति में उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं, मांग-पक्ष हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने तथा विवादों के शीघ्र निपटारे एवं उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार को कम करने के लिए विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) : संशोधित राष्ट्रीय विद्युत नीति, जो मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी, को अंतिम रूप देने एवं अधिसूचित करने की समय-सीमा का निर्धारण हितधारकों से प्राप्त परामर्श प्रक्रिया के पूर्ण होने तथा प्राप्त टिप्पणियों एवं सुझावों पर विधिवत विचार किए जाने के पश्चात किया जाएगा। मसौदा नीति को पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन, अर्थात् दिनांक 19.02.2026 तक की परामर्श की अवधि के साथ राज्य सरकारों, उद्योग संघों, विद्युत उपयोगिताओं तथा उपभोक्ता समूहों सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रसारित किया गया है।

(ङ) : नीति एक वित्तीय रूप से व्यवहार्य तथा पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विद्युत क्षेत्र के माध्यम से विश्वसनीय, 24x7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के रूप में अपनी परिकल्पना को स्पष्ट करती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ हो तथा विद्युत की वहनीयता भी सुनिश्चित हो।

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ, लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ एवं हानि न्यूनीकरण द्वारा समर्थित सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन तथा अधिक लागत अनुकूलन के माध्यम से वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रचालन दक्षता में सुधार हेतु उपायों की परिकल्पना की गई है।

निजी निवेश को आकर्षित करने तथा दीर्घकालिक, कम लागत वाले वित्तपोषण को जुटाने के उद्देश्य से मसौदा नीति में विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, बैंक क्षमता तथा निवेशकों के विश्वास में सुधार करने हेतु उपायों का व्यापक समूह प्रस्तावित है। विद्युत अधिनियम की मंशा के अनुरूप, वितरण क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारकों को सक्षम करके एकाधिकार को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव है जिससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित यूटिलिटी को सूचीबद्ध किया जा सके। दक्षता और पारदर्शिता को और अधिक बढ़ाने के लिए, सभी अंतर्राज्यीय एवं अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को डिफॉल्ट माध्यम के रूप में अपनाने की परिकल्पना की गई है। मसौदा नीति में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन में निवेश को सुगम बनाने के लिए वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट (वीपीपीए) तथा द्विपक्षीय अनुबंध निपटान जैसे नवाचारी अनुबंध तंत्रों की शुरुआत का भी प्रस्ताव किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा में क्षमता संवर्धन को तीव्र गति देने के लिए, मसौदा नीति में औद्योगिक उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस एवं कैप्टिव उत्पादन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी भी प्रकार की विनियामक अथवा प्रक्रियागत बाधाएँ न रहें। इसके अतिरिक्त, गैर-जीवाश्म ऊर्जा अवसंरचना हेतु पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) तथा राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के अंतर्गत समर्पित प्लेटफॉर्म एवं क्षेत्र-विशिष्ट कोषों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिन्हें प्रथम-हानि गारंटी, रिज़र्व निधि तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त बहुपक्षीय गारंटियों जैसे जोखिम न्यूनीकरण साधनों का समर्थन प्राप्त होगा। इसके अलावा, मसौदा नीति में रियायती हरित वित्तपोषण को सुगम बनाने तथा विद्युत क्षेत्र के नेट-जीरो उत्सर्जन की दिशा में पारगमन को समर्थन देने हेतु एक क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी के अन्वेषण का भी प्रस्ताव किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1108
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रारूप

1108. श्री मोहम्मद नदीमुल हक़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिक समाज द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुरूप इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि 2025 के प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक में एक ही क्षेत्र में अनेक वितरण लाइसेंसधारकों को अनुमति देने (धारा 14 में संशोधन) तथा उपभोक्ताओं को निजी आपूर्तिकर्ताओं को चुनने का विकल्प विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निजी ऑपरेटरों को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की अनुमति मिल सकती है, जबकि सार्वजनिक डिस्कॉम (ग्रामीण अथवा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ असंतुलित स्थिति में छोड़ दिए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस विधेयक के कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में जहां कृषि को मुफ्त बिजली मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारियों की अनुमति पहले से ही देता है। यह वितरण नेटवर्क के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच को भी अनिवार्य करता है। लेकिन वर्तमान में, प्रत्येक नए लाइसेंसधारी को अपना अलग नेटवर्क बनाना पड़ता है, जिसका अर्थ है खंभों, तारों और उपकेंद्रों का दोहराव - जिससे सभी के लिए विद्युत महंगी हो जाती है। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे के तहत प्रस्तावित संशोधन में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा तय

किए गए प्रभारों के भुगतान पर अन्य वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क के उपयोग की अनुमति देकर इस व्यर्थ दोहराव को हटाने का लक्ष्य है।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी के लिए आपूर्ति का क्षेत्र निर्धारित किया गया है और लाइसेंस देते समय इसे एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। प्रत्यायोजित विधान में वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए पहले से ही एक न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित है- जिसमें या तो पूरा नगर निगम या कम से कम तीन आसन्न राजस्व जिले, या अगर उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो तो इनसे छोटा क्षेत्र भी शामिल हो सकता है। प्रस्तावित मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, ग्रामीण और घरेलू उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व जारी रखेगा, सिवाय बड़े उपभोक्ताओं को छोड़कर, जिनके लिए वितरण लाइसेंसधारी को एसईआरसी द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है। यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने आपूर्ति क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति करें। इस संशोधन में एसईआरसी को एक ही आपूर्ति क्षेत्र के भीतर कई लाइसेंसधारियों को लाने के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क की स्थापना को अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

यह परिकल्पना की गई है कि कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65 के तहत राज्य सरकार द्वारा कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं सहित विनिर्दिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1109
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

पीवीटीजी परिवारों तक विद्युत पहुंच

1109. #श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित तथा दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले कितने जनजातीय परिवार ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो अब तक विद्युत सुविधा से वंचित हैं;

(ख) देश भर में पीवीटीजी एवं अन्य जनजातीय परिवारों के विद्युतीकरण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) दूर-दराज़ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा कौन-से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): भारत सरकार वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के अंतर्गत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के घरों सहित सभी घरों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के प्रयासों को निरंतर सहयोग प्रदान किया है। राज्यों/यूटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के तहत एवं उसके बाद सौभाग्य के तहत दिनांक 31 मार्च 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमों में दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत, 6,521 करोड़ रु. की लागत से 13.65 लाख घरों के लिए ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान

(पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के घर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घर तथा जहाँ भी यह व्यवहार्य हो, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घर शामिल हैं।

राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत क्रमशः 1,44,491 पीवीटीजी परिवारों और 3,24,644 जनजातीय परिवारों को ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें से 4,15,773 परिवारों के लिए 1,788 करोड़ रु. की लागत वाले कार्यों को आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 53,362 परिवारों को संबंधित राज्य योजनाओं के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। अब तक 1,95,841 पीवीटीजी एवं जनजातीय घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन तथा डीए-जेजीयूए के तहत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए क्रमशः 8,823 पीवीटीजी परिवारों और 4,099 जनजातीय घरों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 11,106 पीवीटीजी एवं जनजातीय घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

भारत सरकार सभी परिवारों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। चूँकि अधिकांश शेष परिवार दूरस्थ, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानदंडों में शिथिलता प्रदान की गई है तथा विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। संशोधित मानदंडों के अनुसार जहाँ भी व्यवहार्य हो, वहाँ आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन और लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1110

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

पड़ोसी देशों के साथ सीमा-पार विद्युत व्यापार

1110.# श्री शंभू शरण पटेल:

श्री नारायण कोरागप्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी ट्रांसमिशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों की कमीशनिंग की गई है;

(ख) अंतः राज्य एवं अंतर-राज्य पारेषण बाधाओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या राइट ऑफ वे अथवा विभिन्न स्वीकृतियों में विलंब के कारण परियोजना समय-सीमाएं प्रभावित हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पड़ोसी देशों के साथ सीमा-पार विद्युत व्यापार के क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(च) राष्ट्रीय ट्रांसमिशन ग्रिड को सुदृढ़ करने हेतु सरकार का रोडमैप क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में पिछले 5 वर्षों [वित्त वर्ष 2021-22 से दिसंबर, 2025 तक] के दौरान पारेषण प्रणाली नेटवर्क (220 केवी और उससे अधिक) में, 57,630 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के साथ 74 पारेषण लाइनों और 3,81,523 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) की परिवर्तन क्षमता वाले 33 सबस्टेशन कमीशन किए गए हैं।

(ख) : भारत का राष्ट्रीय पारेषण अवसंरचना क्षेत्रों में विश्वसनीय विद्युत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित है। वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर कोई पारेषण बाधा मौजूद नहीं है जो क्षेत्रों में विद्युत के समग्र अंतरण को प्रभावित करती है। विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण की सुविधा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है। विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को दिसंबर, 2025 तक 120 गीगावाट

(जीडब्ल्यू) से बढ़ाकर वर्ष 2027 तक 143 गीगावाट और वर्ष 2032 तक 168 गीगावाट करने की योजना है।

चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः अंतःराज्यीय विद्युत ग्रिड और पारेषण अवसंरचना की आयोजना, विकास और प्रचालन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, विद्युत की मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संसाधन पर्याप्तता (आरए) मूल्यांकन और पारेषण प्रणाली आयोजना में सहायता सहित तकनीकी और आयोजना सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) : राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुद्दों के कारण हुई देरी ने परियोजना समय-सीमा को प्रभावित किया है। देश में मार्च, 2026 तक निर्धारित कमीशनिंग तिथि (एससीओडी) वाली कार्यान्वयनाधीन अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाओं का विवरण, जो आरओडब्ल्यू मुद्दों या मंजूरी का सामना कर रहे हैं, **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ङ) : पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के आयात/निर्यात में भारतीय विद्युत एक्सचेंज और द्विपक्षीय माध्यम से लेनदेन शामिल हैं, पिछले 5 वित्त वर्षों के लिए पड़ोसी देशों को आयात/निर्यात की गई ऊर्जा के संदर्भ में सीमा पार विद्युत व्यापार में हुई प्रगति इस प्रकार है:

वर्ष	भारत द्वारा आयात (एमयू)				भारत द्वारा निर्यात (एमयू)			
	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार
2025-26*	7796	0	3252	0	580	6342	662	6.41
2024-25	6281	0	2150	0	1764	8084	1686	9.08
2023-24	5730	0	1725	0	1868	8394	1850	8.78
2022-23	7253	0	1385	0	522	8581	1552	9.80
2021-22	7995	0	179	0	322	7327	2127	8.81

(* दिसंबर 2025 तक) एमयू-मिलियन यूनिट

(च) : विद्युत की बढ़ती मांग के अनुरूप पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने 2024 में राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) (खंड-2 पारेषण) प्रकाशित की। योजना में अनुमानित विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अनुमानित विद्युत क्षमता में अभिवृद्धि के अनुरूप वर्ष 2023 से 2032 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली आवश्यकताओं की रूपरेखा दी गई है। पारेषण योजना में वर्ष 2032 तक 388 गीगावाट की अनुमानित उच्चतम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य पारेषण प्रणालियों को जोड़ना शामिल है। एनईपी (खंड-2 पारेषण) के तहत, देश में पारेषण नेटवर्क (220 केवी और उससे अधिक) को वर्ष 2032 तक 6.48 लाख सीकेएम तक विस्तारित करने की योजना है और परिवर्तन क्षमता 2,345 गीगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए) तक बढ़ाई जाएगी।

देश में मार्च, 2026 तक एससीओडी वाली कार्यान्वयनाधीन आईएसटीएस परियोजनाएँ, जो विभिन्न मंजूरी और समय-सीमा में देरी का सामना कर रहे हैं, का विवरण:

क्र.सं.	पारेषण लाइन (टीएल)	एससीओडी	अनुमानित एससीओडी
1	अनंतपुरम पीएस-कडप्पा-400केवी (क्वाड मूस) डी/सी लाइन	सितंबर-25	मार्च-26
2	भादला-III पीएस - सीकर-II एस/एस 765 केवी डी/सी लाइन	मार्च-25	फरवरी-26
3	ब्यावर-दौसा 765 केवी डी/सी लाइन	अप्रैल-25	मार्च-26
4	कोप्पल-II पीएस - नरेंद्र (नई) 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
5	गडग-II पीएस - कोप्पल-II पीएस 400 केवी (क्वाड मूस) डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून -26
6	कोप्पल-II पीएस - रायचूर 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
7	बीकानेर-III - नीमराना-II 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
8	नीमराना-II-बरेली (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
9	बीदर पीएस-महेश्वरम (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-26	जून-26
10	सीकर-II-नरेला 765 केवी डी/सी लाइन	अगस्त-25	जुलाई-26
11	सीकर-II-खेतड़ी765 केवी डी/सी लाइन	अगस्त-25	जुलाई-26
12	फतेहगढ़3- ब्यावर 765 केवी डी/सी	मार्च-25	मार्च-26
13	ब्यावर में 765 केवी डी/सी अजमेर-चित्तौड़गढ़ के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ	मार्च-25	मार्च-26
14	नीमराना-II-कोटपुतली 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड)	दिसंबर-25	दिसंबर-26
15	नीमराना-II एस/एस पर 400 केवी गुड़गांव (पीजी) - सोहना रोड (जीपीटीएल) डी/सी लाइन (क्वाड) के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ	दिसंबर-25	दिसंबर-26
16	नरेंद्र न्यू (जीआईएस) - पुणे (जीआईएस) 765 डी/सी लाइन	जुलाई-24	जून-26
17	केपीएस2(जीआईएस) - हलवद 765 केवी डी/सी लाइन	दिसंबर-25	जून-26
18	हलवद में लकाड़िया-अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन का एलआईएलओ	दिसंबर-25	जून-26
19	बीकानेर-III - नीमराना-II 765 केवी डी/सी लाइन (दूसरी)	दिसंबर-25	अगस्त-26
20	गडग पूर्लिंग स्टेशन - कोप्पल पीएस 400 केवी डी/सी लाइन	मई-24	मार्च-26
21	धुले पीएस - धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-26	जून-26
22	पचोरा पीएस-उज्जैन (एमपीपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-26	मार्च-26
23	400 केवी डी/सी खंदूखाल (श्रीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) लाइन	सितंबर-24	मई-26
24	फतेहगढ़ 3- भादला-3 400 केवी डी/सी लाइन	फरवरी-25	जून-26
25	सोलापुर पीएस - सोलापुर (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन	मार्च-26	जून-26

लीलो- लाइन इन लाइन आउट; डी/सी- डबल सर्किट, एस/एस- सबस्टेशन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1111
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

इलेक्ट्रॉनिक/स्मार्ट विद्युत मीटरों का संस्थापन

1111. श्री इमरान प्रतापगढ़ी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में उपभोक्ताओं के व्यापक विरोध के बावजूद, आधिकारिक और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से घरों में इलेक्ट्रॉनिक/स्मार्ट विद्युत मीटर अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्च बिलों, रीडिंग की पारदर्शिता और सूचित सहमति के अभाव के संबंध में नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का आकलन किया है;

(ग) क्या स्वैच्छिक रूप से मीटर लगवाने, शिकायतों के निवारण और बिलिंग की सटीकता की स्वतंत्र संपरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं; और

(घ) क्या राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को परामर्श प्रक्रिया पूर्ण होने, आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने तथा उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल होने तक जबर्न मीटर लगाने की कार्रवाई स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) का उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। स्कीम के अंतर्गत एक प्रमुख गतिविधि स्मार्ट मीटरों की संस्थापना है, जिससे उपभोक्ताओं तथा वितरण यूटिलिटी को लाभ प्राप्त होना परिकल्पित है। इस स्कीम के तहत राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ कुल 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

स्मार्ट मीटरिंग से सटीक बिलिंग सुनिश्चित होती है, मैनुअल मीटर रीडिंग से होने वाली त्रुटियाँ समाप्त होती हैं, उपभोक्ताओं को रीचार्ज में सुविधा मिलती है तथा वे अपनी खपत की

निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे डिस्कॉम की संग्रह दक्षता में सुधार होता है और स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान तथा ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।

प्रारंभ में, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के क्रियान्वयन में उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटरों के लाभों के संबंध में पर्याप्त जागरूकता के अभाव के कारण कुछ चुनौतियाँ आईं। उपभोक्ताओं से संवाद करने और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. सरकारी प्रतिष्ठानों तथा वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना को प्राथमिकता दी गई है ताकि अन्य उपभोक्ता स्मार्ट मीटरों से होने वाले लाभ को प्रत्यक्ष रूप से देख सके।

ख. मंत्रालय द्वारा विभिन्न परामर्शिकाएं/एसओपी जारी की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपभोक्ताओं को बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर की संस्थापना के लिए प्रोत्साहन;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई शास्ति नहीं;
- पिछले बकायों की आसान किस्तों में वसूली हेतु तंत्र;
- स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटरों की स्थापना;
- विद्युत खपत की नियमित निगरानी एवं आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप्स की उपलब्धता;
- बची धनराशि के लिए अग्रिम अलर्ट तथा उपभोक्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट की सुविधा।

ग. वितरण यूटिलिटी, नोडल एजेंसियों, यथा- आरईसी एवं पीएफसी तथा एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में स्मार्ट मीटरों के लाभ दर्शाने वाले पैम्पलेट्स का वितरण, अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में बैनर एवं जागरूकता कैनोपी लगाना, सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क आदि शामिल हैं। इन विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब तक आरडीएसएस एवं राज्य स्कीमों सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देशभर में कुल 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अंतर्गत एक सुदृढ़, बहु-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। इस रूपरेखा के अनुसार, उपभोक्ता प्रारंभ में वितरण यूटिलिटी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली से संपर्क कर सकते हैं; असंतोष की स्थिति में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) तथा उसके पश्चात विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1112

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

हिमाचल प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि

1112.#श्री हर्ष महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मद के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित एवं व्यय की गई है, वर्ष-वार एवं उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सीएसआर निधि के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों में धनराशि का उपयोग किया गया है तथा जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया गया है कि राज्य में सीएसआर निधि का उपयोग पारदर्शी, प्रभावी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आवंटित और खर्च की गई कुल राशि का विवरण, सीपीएसई-वार और वर्ष-वार, निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

सीपीएसई	2022-23		2023-24		2024-25	
	आवंटित राशि	खर्च की गई राशि	आवंटित राशि	खर्च की गई राशि	आवंटित राशि	खर्च की गई राशि
एनटीपीसी लिमिटेड	173.16	173.16	221.51	221.51	420.63	420.63
पावरग्रिड	699.90	699.90	1970.47	1970.47	400.22	400.22
पीएफसी लिमिटेड	129.92	129.92	549.72	549.72	-	-
आरईसी लिमिटेड	160.40	160.40	61.41	61.41	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड	2681.47	2339.78	2238.33	1744.99	2528.84	1933.05
एसजेवीएन लिमिटेड	4286.31	4286.31	3093.63	3093.63	2178.96	2178.96
टीएचडीसीआईएल	-	-	33.66	33.66	43.54	43.54

(ख): विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 के अंतर्गत चिह्नित शीर्षों के तहत सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन करते हैं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुख पहल, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों की देखभाल, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किए गए सीएसआर गतिविधियों और खर्च की गई धनराशि का गतिविधि/राज्य/जिलावार विवरण सीपीएसई और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की संबंधित वेबसाइटों, सीएसआर पोर्टल, अर्थात् www.csr.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग): सीएसआर वित्तपोषण एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है और उद्यम के बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, संबंधित सीपीएसई की सीएसआर नीति, डीपीई दिशानिर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार, कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, अनुमोदन देने, निष्पादन करने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीएसआर गतिविधियां सीपीएसई द्वारा स्वयं या केंद्र/राज्य सरकारों की एजेंसियों/विभागों के माध्यम से की जाती हैं। सरकार एमसीए 21 पोर्टल में कंपनियों द्वारा किए गए खुलासे के माध्यम से सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करती है।

इसके अलावा, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी, जिसकी तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करवाना होगा, जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं। सभी कंपनियों को 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा होती है, सहित सीएसआर गतिविधियों, प्रभाव मूल्यांकन आदि के विवरण की सूचना देना आवश्यक है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1113

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय देयता

1113. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने वित्तीय वर्ष 2025 में 2,701 करोड़ रुपये का संचयी शुद्ध लाभ दर्ज किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष 2025 में शुद्ध लाभ अर्जित करने के बावजूद, डिस्कॉम पर पिछले दस वर्षों से 7 ट्रिलियन रुपये से अधिक का संचयी ऋण बना हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लगभग 2.74 ट्रिलियन रुपये को "अस्थिर" घोषित किया गया है; और

(घ) इस देनदारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पीएफसी की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2025 तक डिस्कॉम-वार संचित अधिशेष/हानि और कुल उधार को अनुबंध-1 में रखा गया है।

भारत सरकार वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी की सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई। स्कीम के तहत धनराशि जारी करना वित्तीय और प्रचालन मानकों के आधार पर राज्यों/वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से संबद्ध है।
- ii. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% की अतिरिक्त उधार लेने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जो वितरण यूटिलिटी के वित्तीय निष्पादन सहित विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने पर सशर्त है।

- iii. निर्धारित शर्तों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- iv. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें शामिल हो जाएं।
- v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं, जबकि आपूर्ति की राष्ट्रीय औसत लागत - औसत राजस्व प्राप्त अंतर (एसीएस-एआरआर) 0.69 रुपये/केएचडब्ल्यू से घटकर 0.06 रुपये/केएचडब्ल्यू हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

वितरण यूटिलिटी की वित्तीय देयताएं संबंधित राज्य सरकारों की आक्समिक देयताएं हैं और उन्हें इस तरह से मान्यता दी जानी चाहिए। छह राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, जिनके पास डिस्कॉम के कुल उधार का बहुत ज्यादा हिस्सा (66%) अर्थात् उधार का परिमाण दिनांक 31.03.2025 तक 2,74,120 करोड़ रुपये है, को विनियामक ने (टैरिफ के माध्यम से रिकवरी के लिए) अनुमति नहीं दी है और इसे अस्थिर माना है।

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम-वार वित्तीय प्रचालन मापदंड

राज्य/डिस्कॉम	संचित अधिशेष/(हानि) (रुपये)	कुल ऋण (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	(6,77,561)	7,11,402
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-
अंडमान एवं निकोबार पीडी	-	-
आंध्र प्रदेश	(29,420)	77,583
एपीसीपीडीसीएल	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	-	-
अरुणाचल पीडी	-	-
असम	(1,028)	1,131
एपीडीसीएल	(1,028)	1,131
बिहार	(16,526)	14,002
एनबीपीडीसीएल	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	(10,423)	5,428
सीएसपीडीसीएल	(10,423)	5,428
दिल्ली	-	-
एनडीएमसी	-	-
गोवा	-	-
गोवा पीडी	-	-
गुजरात	7,355	258
डीजीवीसीएल	2,507	26
एमजीवीसीएल	877	9
पीजीवीसीएल	2,276	208
यूजीवीसीएल	1,695	15
हरियाणा	(27,915)	20,311
डीएचबीवीएन	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएन	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	(3,391)	7,024
एचपीएसईबीएल	(3,391)	7,024
झारखंड	(20,512)	22,381
जेबीवीएनएल	(20,512)	22,381
कर्नाटक	(34,980)	47,993
बेसकॉम	(13,819)	22,611
चेसकॉम	(4,064)	5,410
गेसकॉम	(5,661)	6,147
हेसकॉम	(11,398)	12,251
मेसकॉम	(37)	1,575
केरल	(38,648)	17,638
केएसईबीएल	(38,648)	17,638
टीसीईडी	-	-
लद्दाख	-	-
लद्दाख पीडी	-	-
मध्य प्रदेश	(71,394)	49,239
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(30,900)	18,176
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(12,503)	14,184
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	(35,671)	90,659
बीईएसटी	-	-
एमएसईडीसीएल	(35,671)	90,659
मणिपुर	(290)	745
एमएसपीडीसीएल	(290)	745

मेघालय	(4,962)	1,474
एमईपीडीसीएल	(4,962)	1,474
मिजोरम	-	-
मिजोरम पीडी	-	-
नागालैंड	-	-
नागालैंड पीडी	-	-
पुदुचेरी	-	-
पुदुचेरी पीडी	-	-
पंजाब	(3,404)	17,411
पीएसपीसीएल	(3,404)	17,411
राजस्थान	(90,303)	98,488
एवीवीएनएल	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	(30,052)	35,569
सिक्किम	-	-
सिक्किम पीडी	-	-
तमिलनाडु	(1,19,153)	1,01,782
टीएनपीडीसीएल	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	(69,741)	59,230
टीएसएनपीडीसीएल	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	(991)	842
टीएसईसीएल	(991)	842
उत्तर प्रदेश	(1,00,858)	61,395
डीवीवीएनएल	(33,974)	16,412
केस्को	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	(8,782)	6,562
पीयूवीवीएनएल	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	(5,482)	1,729
यूपीसीएल	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	174	14,658
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	174	14,658
प्राइवेट सेक्टर	30,351	14,975
दिल्ली	22,184	2,914
बीआरपीएल	12,892	894
बीवाईपीएल	5,650	701
टीपीडीडीएल	3,642	1,319
गुजरात	3,892	3,562
टोरेंट पावर अहमदाबाद	3,206	3,354
टोरेंट पावर सूरत	686	208
महाराष्ट्र	1,245	3,818
एईएमएल	1,245	3,818
ओडिशा	1,263	4,531
टीपीएनओडीएल	480	1,006
टीपीएसओडीएल	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	301	1,093
टीपीसीओडीएल	262	933
उत्तर प्रदेश	1,561	0
एनपीसीएल	1,561	0
पश्चिम बंगाल	205	151
आईपीसीएल	205	151
कुल योग	(6,47,210)	7,26,378

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1114
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की स्थिति

1114. श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के दौरान विद्युत कनेक्शन-रहित परिवारों की अनुमानित संख्या को किस आधार पर कम किया गया है;

(ख) वर्तमान में विद्युतरहित या निष्क्रिय कनेक्शन वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) सौभाग्य तथा इससे संबंधित योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा कितनी अतिरिक्त बजटीय ऋण जुटाया गया है; और

(घ) अप्रयुक्त निधियों पर कितनी ब्याज देनदारी उत्पन्न हुई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, ताकि देश के ग्रामीण इलाकों में सभी इच्छुक गैर विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन देकर सभी घरों में विद्युत पहुंचाई जा सके। सौभाग्य स्कीम के अनुसार, बिना विद्युत वाले घरों की कुल संख्या 300 लाख होने का अनुमान था, जिसके मुकाबले सौभाग्य स्कीम के दौरान देश भर में 286 लाख घरों में विद्युत पहुंचाई गई और सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पहले पहचाने गए सभी इच्छुक बिना विद्युत वाले घरों में 100% विद्युत पहुंचाने की सूचना दी है। राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 पर है।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बेहतर बनाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 6522 करोड़ रुपये के कार्य देश के 13,65,139 घरों के विद्युतीकरण के लिए मंजूर किए गए हैं।

इसमें यथा व्यवहार्य प्रधानमंत्री जन जाति महा न्याय अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जन जातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त परिवार) के तहत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II पर है।

(ग) और (घ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत आरईसी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त बजटीय उधारी की राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्कीम	राशि करोड़ रुपये में
1	सौभाग्य	2,950.00
2	डीडीयूजीजेवाई	21,159.30
कुल		24,109.30

स्कीम के लिए पूरी निधि निर्धारित समय में इस्तेमाल कर ली गई।

सौभाग्य अवधि के दौरान विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत गैर-वित्तपोषित

आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त घर) के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्यों के नाम	कुल संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		
आंध्र प्रदेश	15,475	15,307
अरुणाचल प्रदेश	6,506	0
असम	127,111	0
बिहार	35,467	0
छत्तीसगढ़	34,078	188
जम्मू और कश्मीर	15,359	0
झारखंड	4,853	371
केरल	40	11
मध्य प्रदेश	196	21
मणिपुर	36,972	0
मेघालय	50,501	0
मिजोरम	15,167	0
नागालैंड	10,004	0
राजस्थान	338,702	79,526
उत्तर प्रदेश	251,487	1,317
कुल (क)	941,918	96,741
हिमाचल प्रदेश*	0	0
अरुणाचल प्रदेश	1,683	0
उत्तराखंड	1,154	0
भाग (ख)	2,837	0
आंध्र प्रदेश	24,967	24,925
बिहार	-	0
छत्तीसगढ़	7,077	7,160
झारखंड	12,442	11,146
कर्नाटक	1,615	1,546
केरल	345	313
मध्य प्रदेश	30,216	27,006
महाराष्ट्र	8,556	9,216
राजस्थान	17,633	16,023
तमिलनाडु	8,603	6,939
तेलंगाना	3,884	3,884
त्रिपुरा	11,664	11,692
उत्तर प्रदेश	316	195
उत्तराखंड	669	669
उप-जोड़ (ग1)	127,987	120,714
गुजरात	0	6,626
ओडिशा	0	5,156
पश्चिम बंगाल	0	3,372
उप-जोड़ (ग2)	0	15,154
मध्य प्रदेश	25	20
उप-जोड़ (ग3)	25	20

कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	128,012	135,888
आंध्र प्रदेश	4,921	4,359
अरुणाचल प्रदेश	1,938	1,469
बिहार	7,117	648
छत्तीसगढ़	39,579	12,245
हिमाचल प्रदेश	93	10
जम्मू एवं कश्मीर	13,824	0
झारखंड	19,467	0
कर्नाटक	5,288	1,101
केरल	1,080	204
मध्य प्रदेश	59,172	11,910
महाराष्ट्र	6,961	5,228
राजस्थान	82,842	7
तेलंगाना	26,525	15,442
त्रिपुरा	7,677	5,089
उत्तर प्रदेश	6,867	65
उत्तराखंड	207	135
उप-जोड़ (घ1)	283,558	57,912
ओडिशा	0	0
उप-जोड़ (घ2)	0	0
आंध्र प्रदेश	182	129
अरुणाचल प्रदेश	9	9
हिमाचल प्रदेश	7	3
झारखंड	1,910	0
केरल	17	0
मध्य प्रदेश	650	67
राजस्थान	195	0
तेलंगाना	672	0
त्रिपुरा	512	0
उत्तर प्रदेश	30	7
उत्तराखंड	19	3
उप-जोड़ (घ3)	4,203	218
ओडिशा	0	0
उप-जोड़ (घ4)	0	0
कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	287,761	58,130
आंध्र प्रदेश	811	411
झारखंड	1,782	0
मध्य प्रदेश	6	3
महाराष्ट्र	2,012	21
कुल (ङ)	4,611	435
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	1,365,139	291,194

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1115
दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण उपलब्धि

1115.# श्री मोकरिया रामभाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितंबर, 2025 में भारत द्वारा 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) संस्थापित विद्युत क्षमता की उपलब्धि प्राप्त किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है तथा सीओपी26 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबद्धता से पूर्व 50 प्रतिशत जीवाश्म-रहित ईंधन लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां शामिल हैं; और

(घ) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म-रहित ईंधन क्षमता प्राप्त करने एवं नेट-जीरो 2070 उद्देश्य की दिशा में निर्धारित कार्ययोजना (रोडमैप) का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : सितंबर, 2025 में 500 गीगावाट की उपलब्धि के समय की संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण, जिसमें जीवाश्म एवं गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाई गई है, अनुबंध-I पर दिया गया है। दिनांक 31.12.2025 तक कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 5,13,730 मेगावाट है, जिसमें 2,46,942 मेगावाट (48.07%) जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 2,66,788 मेगावाट (51.93%) गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है।

भारत ने जून, 2025 में अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर ऊर्जा पारगमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष से भी अधिक समय पूर्व है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

(ग) : वर्ष 2025 के दौरान, कुल 48,436 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। इसमें 37,945 मेगावाट सौर ऊर्जा और 6,347 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ) : वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का विवरण और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति निम्नानुसार है:

1. भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति देने के लिए कई कदम और पहलें की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवार्ड होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा प्रतिवर्ष 50 गीगावाट की दर से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों के निर्गमन हेतु बोली ट्रेजेक्ट्री जारी किया है।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

- (ix) भारत सरकार ने सितंबर, 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीएसईएस) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्कीम के अंतर्गत 3,760 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ 13.22 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने जून, 2025 में 30 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास हेतु एक और वीजीएफ स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (x) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के पश्चात नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। नवीकरणीय खपत दायित्व जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू है, का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान होगा। आरसीओ में विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निर्धारित मात्रा में ऊर्जा खपत का प्रावधान भी शामिल है।
- (xi) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
- (xiii) 12,973.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और उनके वर्ष 2031-32 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
- (xiv) नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में देश में कुल 11,870 मेगावाट क्षमता वाली 10 पंप भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

2. इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं और यह वर्ष 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए महत्वपूर्ण है। यह बेस लोड पावर का एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। न्यूक्लियर ऊर्जा से होने वाले लाईफ-साईकिल उत्सर्जन जलविद्युत एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तुलनीय हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ष 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से अभिकल्पित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने तथा उन्नत न्यूक्लियर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक समर्पित न्यूक्लियर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया गया है।
- ii. स्वदेशी संसाधनों के आधार पर भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित करने हेतु भारत के रूपांतरण

के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया गया है।

- iii. भारत की प्रमाणित प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर (बीएसआर) को औद्योगिक केंद्रों में तैनाती हेतु उन्नत किया जा रहा है, जिससे डी-कार्बोनाइजेशन में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, बीएआरसी द्वारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का भी विकास किया जा रहा है।
- iv. एक महत्वपूर्ण खोज सहित नई यूरेनियम खोजों के माध्यम से भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे जादुगुड़ा खदान की समयावधि 50 वर्षों से अधिक बढ़ जाएगी। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल में हुई प्रगति, यथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राप्त उपलब्धियां सतत ईंधन आपूर्ति को और मजबूती प्रदान करेंगी।
- v. क्षमता वृद्धि को गति देने के लिए एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने मौजूदा वैधानिक ढांचे के अंतर्गत न्यूक्लियर संयंत्रों के विकास हेतु "अश्विनी" नामक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है।

3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के डी-कार्बोनाइजेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के अवसर भी उत्पन्न करेगा। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कम-से-कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य की दिशा में इस उपलब्धि का भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा पारगमन रोडमैप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और सुलभता को अपरिहार्य प्राथमिकताओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की दिशा में अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ विकास और प्रगति सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

सितंबर, 2025 और दिसंबर, 2025 में देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण, जिसमें नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत का हिस्सा प्रतिशतता-वार दर्शाया गया है

देश की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)					
		30.09.2025 तक		31.12.2025 तक	
क्षेत्र		संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सेदारी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सेदारी
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,17,458	43.41%	2,19,610	42.75%
	लिग्नाइट	6,620	1.32%	6,620	1.29%
	गैस	20,132	4.02%	20,122	3.92%
	डीजल	589	0.12%	589	0.11%
	कुल जीवाश्म ईंधन	2,44,800	48.87%	2,46,942	48.07%
गैर-जीवाश्म ईंधन	आरईएस (जलविद्युत सहित)	2,47,310	49.37%	2,58,008	50.22%
	जलविद्युत (पीएसपी सहित)	50,108	10.00%	50,915	9.91%
	पवन, सौर और अन्य आरई	1,97,201	39.37%	2,07,093	40.31%
	पवन	53,124	10.61%	54,511	10.61%
	सौर	1,27,332	25.42%	1,35,810	26.44%
	बीएम पावर/सह उत्पादन	10,757	2.15%	10,757	2.09%
	अपशिष्ट से ऊर्जा	854	0.17%	857	0.17%
	लघु जलविद्युत	5,134	1.02%	5,159	1.00%
	न्यूक्लियर	8,780	1.75%	8,780	1.71%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन	2,56,090	51.13%	2,66,788	51.93%
कुल संस्थापित क्षमता		5,00,889	100.0%	5,13,730	100.0%

वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का विवरण

सभी आंकड़े मेगावाट में							
अब तक	लघु जलविद्युत	पवन ऊर्जा	जैव विद्युत		सौर ऊर्जा	बड़ी जलविद्युत	कुल आरईएस
			बायो मास विद्युत/ सह-उत्पादन	अपशिष्ट से ऊर्जा			
2025 (जनवरी-दिसंबर)	58.06	6,347.77	29.10	236.68	37,945.22	3,820.00	48,436.83

आरईएस: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
